

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

नगर निगम की रांगोली ने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की

रतलाम शहर की स्वच्छता के लिए रांगोली ने दी रांगमयी अ भव्यकित स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत नगर निगम का नवाचार देशभर में सराहा गया। अब तक हजारों कचरा मुक्त स्थल, सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, कालेजों, जल स्रोतों आदि स्थानों पर रांगोली के माध्यम दिया गया स्वच्छता और पानी बचाओं का संदेश।

रतलाम 27 मार्च | रांगोली भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और लोक-कला है। इसके निर्माण के पीछे निहित भावना और संस्कृति में पर्याप्त समानता है। इसका प्रयोजन सजावट और सुमंगल है और ये नकारात्मक भाव का शमन कर सकारात्मक भावना का संचार करती है। रांगोली की इस प्राचीन परम्परा का उपयोग नगर पालक निगम रतलाम ने लोगों में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक भाव जगाने के लिए किया और कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड एवं आयुक्त सोमनाथ झारिया का ये अनूठा नवाचार आज राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुका है जो रतलाम शहर के तीन लाख लोगों के लिए हर्ष और गर्व का विषय है। नगर निगम प्रशासन के प्रयास हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत रतलाम शहर देश भर में नम्बर -बने। इन्हीं प्रयासों का एक हिस्सा रांगोली का निर्माण कराया जाना था।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड एवं आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा अक्टूबर -2020 से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए चरणबद्ध योजनाओं पर काम शुरू किया। जिसके चलते प्रथम चरण शहर में लगभग 40.40 सालों से जमे करीब 500 से अधिक अस्थायी कचरा को नष्ट कराया। यहां कोई दोबारा कचरा न डाले इसके लिए कुछ स्थानों पर लाठीधारी कर्मचारियों को भी तैनात किया गया। मगर कुछ स्थानों पर फिर भी लोग नजर बचा कर कचरा निपटान कर ही आते थे।

नकारात्मक सोच वाले लोगों सहित अन्य नागरिकों के मन में स्वच्छता का पावन भाव जगाने के लिए कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम

रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड एवं आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा नवाचार शुरू करते हुए कचरा मुक्त स्थानों पर रांगोली का निर्माण शुरू करवाया और सफाई मंत्र समूह के माध्यम से पहले ही दिन शहर के 50 से ज्यादा कचरा मुक्त स्थानों पर रांगोली का निर्माण कराया गया। इस नवाचार के दौरान खास बात ये भी रही क जहां-जहां कचरा मुक्त स्थानों पर रांगोली बनाई गई उसी स्थान पर उसी क्षेत्र के रहवा सयों की मौजूदगी में दीपदान कराया जाकर संकल्प दिलाया गया क वे इस कचरा मुक्त स्थान पर खुद कचरा डालेंगे और ना ही कसी दूसरे को कचरा फेंकने देंगे।

इसी के साथ शहर के सार्वजनिक स्थानों पर प्राचीन जल स्रोतों पर हेण्डपंपों पर कुएं बाव डायों आदि के आसपास भी रांगोली का निर्माण कराया जाकर स्वच्छता के साथ ही पानी बचाओं का संदेश भी दिया गया।

रांगोली में कंटेंट से दिया संदेश

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड एवं आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा कये गये इस नवाचार को आज राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मल रही है इसका मुख्य कारण सफाई मंत्र समूह की प्रत्येक रांगोली में स्वच्छता का संदेश रहा है। कचरे की गाड़ी कचरा निपटान के लए चार अलग-अलग डस्टबिन स्वच्छता दीदी के सेवा कार्य पर रिंग पकर्स के कार्य सफाई संरक्षक माता-बहनों और भाईयों का सहयोग सहित तीन सौ अधिक स्वच्छता से जुड़े अलग-अलग वषयों के चत्र रांगोली के माध्यम से निर्मित कए गए और प्रत्येक रांगोली में स्वच्छता से जुड़े नारे और स्लोगनों का समावेश कया गया है।

कचरा फेंकने आए लोग उल्टे पैर लौट गई

कचरा स्थलों पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देने और नागरिकों में स्वच्छता का भाव जगाने के लए रांगोली निर्माण के दौरान कई मौके ऐसे भी आए क जब लोग अपनी आदत के मुताबिक कचरे का थैला लेकर फेंकने आए और वहां रांगोली का निर्माण होते देख उल्टे पैर लौट गए। हनुमान ताल पर अमृतसागर आदि जैसे क्षेत्रों में कुछ लोग रांगोली निर्माण के कुछ देर बाद कचरा फेंकने की नियत से आते तो उन्हे

रांगोली का निर्माण करने वाले सदस्य कभी फूलों की मालाएँ फूल तो कभी छोटी झाड़ू आदि भेंट कर दोबारा यहां कचरा न फेंकने के आव्हान करते रहे। इस गांधी गरी का असर ये भी रहा क सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वाले लोगों ने अपना रास्ता बदल लया या निर्धारित समय में आने वाली कचरा गा डियों में कचरे का निपटान करना शुरू कर दिया।

जल संरक्षण के साथ ही बेंटी बचाओं का संदेश

स्वच्छता का संदेश देने वाले नवाचार के दौरान ही नगर के पुराने कुएं बाव डियों नालों एतालाबों आदि को स्वच्छ रखने और जल संरक्षण करने का संदेश भी रांगोली का निर्माण किया गया। इसी तरह शहर सीमा के हेण्डपंप ए नलकूप आदि के आसपास भी रांगोली का निर्माण किया गया। इसी के साथ बेटियों को बचाने और इनकी सुरक्षा को लेकर भी समय-समय पर रांगोली के माध्यम से सकारात्मक संदेश दिया गया।

वगत माह माननीय मुख्यमंत्री के रतलाम प्रवास के दौरान डोसीगांव में आयोजित कार्यक्रम में सफाई मंत्र समूह के माध्यम से वशाल रांगोली के माध्यम से बेंटी बचाओं-बेंटी पढाओं का संदेश दिया गया था। जिसकी माननीय मुख्यमंत्रीजी ने भी सराहना की थी।

अब बेंटी बचाओं रतलाम को अपराध मुक्त बनाओं का भी देगे संदेश

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत रतलाम शहर को स्वच्छ सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड एवं आयुक्त सोमनाथ झारिया के नवाचार का प्रभाव ये रहा क लोगों में स्वच्छता का प्रति जागरूकता आने लगी और आज शहर के सभी वार्ड जीरो वेस्ट प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम के प्रयासों में जिला शिक्षा वभाग ए महिला एवं बाल विकास वकत्सा वभाग आदि का भी सहयोग रहा है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन ने निर्णय लिया है क आगामी माह से रांगोली के माध्यम से स्वच्छता और जल संरक्षण के सहयोग के साथ ही बेंटी बचाओं बेंटी पढाओं रतलाम को दुर्घटना मुक्त बनाओं भ्रूण हत्या

की रोकथामएं सुंदर बने रतलाम- हर नारी का हो सम्मानएं रतलाम को अपराध मुक्त बनाओंएं आदि वषर्यों पर संदेश दिया जाएगा।

जीरो वेस्ट बनने के नजदीक रतलाम नगर

27 मार्च तक 44 वार्ड बन चुके हैं जीरो वेस्ट वार्ड

वार्ड क्रमांक 16एं 22एं 24एं 28 व 31 को भी बनाया जीरो वेस्ट वार्ड

रतलाम 27 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 1एं 2एं 3एं 4एं 5एं 6एं 7एं 8एं 13एं 14एं 15एं 17एं 18एं 19एं 20एं 21एं 23एं 25एं 26एं 29एं 30एं 32एं 33एं 34एं 35एं 36एं 37एं 38एं 39एं 40एं 41एं 42एं 43एं 44एं 45एं 46एं 47एं 48 एवं 49 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ। 26 मार्च की स्थिति में नगर के 40 वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है रतलाम नगर को स्वच्छता में देश में नम्बर 1 बनाने के नागरिकों व निगम कर्मचारियों के उत्साह को देखते हुए 27 मार्च से वार्ड क्रमांक 16एं 22एं 24एं 28 व 31 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया जिसके तहत अब तक 49 वार्डों में से 44 वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है शेष 5 वार्डों को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने पर रतलाम नगर के सभी 49 वार्ड जीरो वेस्ट वार्ड बनेगे व रतलाम नगर जीरो वेस्ट नगर होगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क वर्तमान में जिन वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है उन वार्डों की सड़कोंएं ग लयों एवं नालयों में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरोंएं दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वयं गीले एवं सूखे कचरे पृथक्कीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रैग पकर्स महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग कया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कया जाकर रैग पकर्स महिलाओं द्वारा पुस्टाएं अखबारएं लोहाएं कपड़ाएं शालएं कांचएं

पै कंग मटेरियल ए टुटे खलौने ए प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित किया जा रहा है।

जीरो वेस्ट वार्ड 1ए 2ए 3ए 4ए 5ए 6ए 7ए 8ए 13ए 14ए 15ए 16ए 17ए 18ए 19ए 20ए 21ए 22ए 23ए 24ए 25ए 26ए 28ए 29ए 30ए 31ए 32ए 33ए 34ए 35ए 36ए 37ए 38ए 39ए 40ए 41ए 42ए 43ए 44ए 45ए 46ए 47ए 48 एवं 49 में 2.2 कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पकर्स महिला ए आई.ई.सी. टीम के सदस्य ए वार्ड पर्यवेक्षक ए दरोगा ए इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरों पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित किया गया। नागरिकों से अपील जाती है क वे अपने घरों एवं दुकानों से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक कचरा पात्रों में एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक डाला जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क स्व सहायता समूहों की रैग पकर्स महिलाएँ अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टे<sup>३</sup> चंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक ए रबर ए बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पकर्स महिलाओं को वार्डों में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिये निगम द्वारा एपीन ए ग्लबस ए मास्क आदि उपलब्ध कराये गये हैं। इन्हे वार्ड में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इस लिये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद किया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षक ए दरोगा ए स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें क इसका भण्डारण कहाँ होता है व विक्रय कौन कौन करता है सही

जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन किया जाये। पॉलीथीन का उपयोग करने व गंदगी करने पर 7 व्यक्तियों पर जुर्माना 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित

रतलाम 27 मार्च । षासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित कये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

50 माईक्रॉन की पॉलीथीन का उपयोग करने व गंदगी करने पर हीरालाल चांदनी चौक पर 2000ए चंदन चांदनी चौक पर 1000ए नवपद ज्वैलरी चांदनी चौकए पैलेन्द्र जेल रोडए साड़ी सरोवर नाहरपुरा पर 500.500ए ईश्वर सैलाना बस स्टैण्ड व संजय कॉलेज रोड पर 100.100 का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री वराट मेहरा के अलावा मनोज टांकए पवन झांझोटए आकाष षन्देए राकेष ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबंधितों के वरुद्ध जुर्माना कये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

पॉलीथीन व डस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबंधित रतलाम 27 मार्च । गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से षासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबंधित किया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अधिकारियों को निर्देशित किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्देशित किया क 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहीत व हैण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये साथ

ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डिपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबंधित किया जाना है।

नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैलीए नारियल या जूट की थैली का उपयोग करें। प्लास्टिक व थर्मोकॉल से निर्मित कपड़े ग्लास कटोरीए चम्मचए कन्टेनरए स्ट्रॉ आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉए पेपर प्लेटए दोने पत्तलए पत्तो से निर्मित बाउलए केले के तने तथा नारियल के पत्तों से निर्मित प्लेट एवं बाउलए मी के कुल्लहड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थों के लिये करें। इस हेतु प्रेरित किया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने पॉलीथीन व डिपोजेबल आयटमों के वक्रयए भण्डारण तथा उपयोग पाये जाने पर जब्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

बकाया वसूली शहरों से निगम को 84ए39ए144 संपत्तिकर व 15ए 23ए610 जलकर प्राप्त हुआ

रतलाम 27 मार्च । नागरिकों की सुवधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षवर 18 जनवरी से आयोजित किये गये हैं जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित षवरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की कष्ट तथा भू-भाटक की बकाया राष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित षवरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षवर में संपत्तिकर 1ए10ए000६ व जलकर 6ए000६ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षवर में संपत्तिकर 1ए40ए000६ व जलकर 55ए775६ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विर् में संपत्तिकर 2ए38ए000६ व जलकर 49ए010६ए वनोबा नगर षवर में संपत्तिकर 1ए29ए000६ व जलकर 43ए670६ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षवर में संपत्तिकर 1ए22000६ व जलकर 29ए280६ए तिरूपति षवर में संपत्तिकर 77ए000६ व जलकर 19ए850६ए कोमल

नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000६ व जलकर 48ए220६ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000६ व जलकर 14ए000६ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000६ व जलकर 86ए540६ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000६ व जलकर 3ए76ए905६ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500६ व जलकर 76ए470६ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000६ व जलकर 47ए595६ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000६ व जलकर 22ए680६ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644६ व जलकर 55ए320६ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000६ व जलकर 59ए500६ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144६ व जलकर 6ए71ए025६ए कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर 71ए000६ व जलकर 19ए000६ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए47ए000६ व जलकर 64ए780६ए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 4ए92ए000६ व जलकर 66ए715६ए रामगढ़ ष वर में संपत्तिकर 1ए60ए000६ व जलकर 34ए340६ए लक्कड़पीठा प्याऊ के पास ष वर में संपत्तिकर 2ए30ए000६ व जलकर 44ए230६ए धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर 2ए07ए000६ व जलकर 33ए940६ए जूनि कोर्ट करण टॉ कज ष वर में संपत्तिकर 1ए84ए000६ व जलकर 56ए350६एआनन्द कालोनी ष वर मे संपत्तिकर 86ए000६ व जलकर 35ए140६ए प्रताप नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए16ए000 व जलकर 57ए670६ए महावीर नगर ष वर में संपत्तिकर 69ए000६ व जलकर 21ए185६ए पैलेस रोड ष वर में संपत्तिकर 3ए50ए000६ व जलकर 66ए865६ए चौगानिया भेरू मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर 1ए15ए000६ व जलकर 25ए865६ए सायर चबुतरा ष वर में संपत्तिकर 2ए42ए000६ व जलकर 70ए400६ए चौमुखील पुल ष वर में संपत्तिकर 4ए70ए000६ व जलकर 43ए925६ए बजाज खाना गणेष देवरी ष वर में संपत्तिकर 2ए55ए000६ व जलकर 39ए750६ए षास्त्रीनगर ष वर में संपत्तिकर 2ए33ए000६ व जलकर 35ए810६ए दो बत्ती ष वर में संपत्तिकर 9ए60ए000६ व जलकर 51ए120६ए दिलबहार चौराहा ष वर में संपत्तिकर 9ए13ए000६ व जलकर 74ए240६ए टाटा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000६ व जलकर 38ए570६ की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांे ने



आयोजित ष वरों मेें 84ए39ए144६ संपत्तिकर व 15ए23ए610६ए रा ष जमा कराई।

अनुपस्थित 16 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 27 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डो की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के व भन्न वार्डो में 27 मार्च शनिवार को 16 सफाई संरक्षकों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित कये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेश्यों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

739 मवेश्यों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 27 मार्च । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेश्यों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेश्यों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेश्यों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 27 मार्च तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 739 मवेश्यों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 27 मार्च शनिवार को गांधी नगर व इन्द्रलोक नगर से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों पर सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राश वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राश रुपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह ए झोन प्रभारी श्री करण चौहान ए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का विक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 27 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में नाले-नालयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय ए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहरा ए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456 ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812 ए आकाश षन्दे मो.नं. 9424075393 ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110 ए राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के

साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 27 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 27 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 27 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें। उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4  
डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 27 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात् पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार ख.सं. व. हेमन्त /27ण03ण2021ख.पा.निगमए रतलाम.